

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. C/3825

Jabalpur, dated 21.9.2016.

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.17(E)44/2013/21-B(One)/3023/2016, Bhopal, dated 20.09.2016 as per the provisions of Section 22(1) of the National Investigation Agency Act, 2008 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Indore, Mandasaur, Morena, Narsinghpur, Rewa, Satna, Sehore and Tikamgarh for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

*Vivek Saxena*  
21.9.2016  
**(Vivek Saxena)**  
**O.S.D. (D.E.)**

2529



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 20-09-2016

फा.क्रमांक 17(ई) 44-2013 21-ब(एक) 3023/2016 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33, एवं 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
17.	इन्दौर	श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर
22.	गरोठ (मंदसौर)	श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर
23.	मुरैना	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना
24.	नरसिंहपुर	श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नरसिंहपुर
30.	रीवा	श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा
32.	सतना	श्री गोपाल श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सतना
33.	सीहोर	श्री बी० एस० भदौरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सीहोर
	टीकमगढ़	डॉ० सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, टीकमगढ़.

20 SEP 2016

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

O.S.D.W.E)

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें।

फा.क्र. 3113.2016.21-ब(एक).

भोपाल, दिनांक 20-09-2016

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्र. A-3784-11-15-18  
2001 दिनांक 23.08.2016, के संदर्भ में.
2. उप नियंत्रक, शारान केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु (म.प्र. राजपत्र - भाग एक) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। ( ) केवल मुद्रणालय  
हेतु।
3. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा.विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना  
की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वाणी)  
25/9/16  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

**NOTIFICATION**

F.No. 17(D) 44 2013 21-B(One) 3023/2016.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F.No. B(1)5476-2013, dated 11<sup>th</sup> September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:-

**Amendment**


In the said notification, in the table, for serial number 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 and 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
17.	Indore	Shri Santosh Prasad Shukla, Vth Additional Session Judge, Indore
22.	Garoth (Mandsaur)	Shri Shashendra Singh Thakur, Additional Session Judge, Garoth (Mandsaur)
23.	Morena	Shri Ramesh Kumar Shrivastava, Hnd Additional Session Judge, Morena
24.	Narsinghpur	Shri Prem Kumar Sinha, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Narsinghpur
30.	Rewa	Shri Ramji Gupta, Hnd Additional Session Judge, Rewa
32.	Satna	Shri Gopal Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna
33.	Sehore	Shri B.S.Bhadoriya, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore
41.	Tikamgarh	Dr. Subhesh Kumar Jain, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Tikamgarh.

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

  
(विरेंद्र सिंह) 20.9.16

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क. 17(इं.14-2013-21-ब(एक) 3023-2016.

भोपाल दिनांक 28-09-2016

पत्रिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके जापन क्रमांक B/3655/III-6-4/10, दिनांक 28.7.2016 के संदर्भ में.
2. राचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नाथे ब्लाक, नई दिल्ली.
3. राचिव, म.प्र. शारान, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल.
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सीहोर एवं टीकमगढ, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शारान केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल.  
की ओर सूचनार्थ एवं ( म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

  
28/9/16  
(आर० के० वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग